

प्रेषक,

डॉ० रणबीर सिंह,  
अपर मुख्य सचिव,  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

आबकारी अनुभाग

विषय : नशायुक्त भांग उन्मूलन व वाणिज्यिक एवं औद्यानिक प्रयोजन हेतु औद्योगिक हैम्प की खेती के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या ६३९ / XXIII / २०१६ / ०४(०२) / २०१६ दिनांक: ०५.१२.२०१६ का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा नशायुक्त भांग उन्मूलन व वाणिज्यिक एवं औद्यानिक प्रयोजन हेतु औद्योगिक हैम्प की खेती के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं।

२- उक्त शासनादेश दिनांक: ०५.१२.२०१६ के प्रस्तर-०६ के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि औद्योगिक हैम्प की खेती के संबंध में टी०एच०सी०(Tetrahydrocannabinol) की मात्रा की जांच किये जाने हेतु सगन्ध पौधा केन्द्र(कैप), सेलाकुर्झ, देहरादून की प्रयोगशाला तथा राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, लखनऊ को अधिकृत संस्थान घोषित किया जाता है।

कृपया इस सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ० रणबीर सिंह)  
अपर मुख्य सचिव

संख्या: ५८। (i) / XXIII / 2018 / 04(11) / 2012 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. प्रमुख निजी सचिव, मा० आबकारी मंत्री जी को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
२. स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।।
३. मण्डलायुक्त, कुर्माऊ / गढवाल मण्डल।
४. आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
५. निदेशक, कृषि, उत्तराखण्ड देहरादून।
६. निदेशक, उद्यान विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
७. निदेशक, शोध, कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर।
८. समन्वित इकाई / संस्थान।
९. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
१०. समस्त जिला आबकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड।
११. निदेशक एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर।
१२. गार्ड फाईल।

आज्ञा से

प्रदीप कुमार शुक्ल  
अनु सचिव